कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता – लक्ष्मी विलास होटल, लालगढ पैलेस, बीकानेर
दूरभाष–151–2226551 ई–मेल–aayukt.ele@gmail.com

–: कार्यालय आदेश :–

70वीं जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा) खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2026–27 के आयोजन हेतु पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ **राप्रावि / राबाउप्रावि / राउप्रावि विद्यालयों** में पंचांग एवं निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें।विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानूसार खेल समूह बनाये गये हैः–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	25.08.2026 से पूर्व	30.08.2026 से 03.09.2026 तक	09.09.2026 से 15.09.2026 तक
द्वितीय समूह	25.08.2026 से पूर्व	12.09.2026 से 16.09.2026 तक	22.09.2026 से 28.09.2026 तक
तृतीय समूह	25.08.2026 से पूर्व	13.10.2026 से 17.10.2026 तक	23.10.2026 से 29.10.2026 तक

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खेल समूह निम्न प्रकार हैः–

प्रथम समूह 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा)		द्वितीय समूह 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा)	
क्र.सं.	**खेल**	**क्र.सं.**	**खेल**
1	बास्केटबॉल	1.	कबड्डी
2	क्रिकेट (छात्र)	2.	साइक्लिंग(रोड़, ट्रेक)
3	हैण्डबॉल	3.	जिम्नास्टिक
4	जूडो	4.	तीरंदाजी
5	लॉन टेनिस	5.	हॉकी
6	कुश्ती	6.	खो–खो
7	बैडमिन्टन	7.	शतरंज
8	बॉक्सिंग (छात्र)	8.	राईफल शूटिंग
9	फुटबॉल	9.	टेबल टेनिस
10	सॉफ्टबॉल	10.	रोलर स्केटिंग
11	वॉलीबॉल	11.	तैराकी
12	नेटबॉल		

क्र.सं.	तृतीय समूह 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा)
1	एथेलेटिक्स

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शालादर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाईन फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक प्रतियोगिता रिपोर्टिंग दिवस से एक दिवस पूर्व तक भरे जा सकेंगे।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलों के आयोजन हेतु जारी कलैण्डर में अनुमानित अवधि/कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार पंचांग में भी परिवर्तन किया जाएगा।

प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएँ दिनांक 22.09.2026 से 24.09.2026 तक केवल जिला स्तर पर मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित की जाएगी। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 एवं 2022–23 के अनुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवावें।

नोटः– उक्त जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएँ आवश्यकतानुसार आयोजित करवाई जाए। ये प्रतियोगिताएँ दिनांक 14.09.2026 से 17.09.2026 तक आयोजित करें।

<u>सत्र 2026–27 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–</u>

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, जिशिअ(मु) प्रा0शि0 को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें, परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात् एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलो में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।
2. 11 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा) प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में जन्मतिथि 01.01.2016 व उसके बाद जन्म लेने वाले एवं उच्च प्राथमिक 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में जन्मतिथि 01.01.2013 व उसके बाद जन्म लेने वाले छात्र–छात्रा भाग ले सकेंगे।
3. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्रॉज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2025–26 की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम परिशिष्ट–2 व 3 पर संलग्न किये जा रहे हैं।
4. सत्र 2026–27 की छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारम्भिक शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10,2022–23 एवं उसके पश्चात् जारी संशोधन परिवर्तन में दर्शाये गये नियमों, निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे।
5. विशेष विद्यालय जैसे : सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यालय, खेल छात्रावास के विद्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रावास एवं उनके द्वारा अधिग्रहित विद्यालय संबंधित जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न लेकर सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगें। उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो खिलाड़ी जिस खेल में इन विद्यालयों में प्रवेश लेता है वह अपने संबंधित खेल में ही भाग लेवें। इन विद्यालयों के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगिता में भाग न ले सकें तो चयन समिति की अभिशंषा पर निर्धारित संख्या के अलावा इनका नाम पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित किया जाता है तो निर्धारित संख्या में सम्मिलित होगें। विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर अपने प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य की अभिशंषा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
6. विशिष्ट विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभाग के खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीन अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य कीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खेल छात्रावासों के दल के द्वारा चयनित एक दल कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/मा./खेलकूद–3/35101/वा.प./2021–22 दिनांक 11.11.2021 के तहत पूर्व की भांति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770

M e-Sign

7. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/ अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 30.08.2026 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें। खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को 25.08.2026 तक प्रस्तुत की जावें। जिससे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करेंगे एवं वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांक 30.08.2026 तक भिजवायें जायेंगे अन्यथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलीत नहीं किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा का होगा।
8. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त विद्यालय भाग लेते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उक्त विद्यालयों के खिलाड़ी/छात्र–छात्रा के चयन पूर्व राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिये होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा अन्यथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी वर्ष की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
9. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.15(1)शिक्षा–6/99 जयपुर दिनांक 27.09.1999 के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निहित प्रवेशिका एवं उपाध्याय छात्र–छात्रा खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं पूर्व व्यवस्थानुसार संस्कृत विभाग द्वारा पृथक से आयोजित करवाई जावेगी।
10. टेबल–टेनिस की प्रतियोगिताएं न्यू स्वेथलिंग कप के आधार पर आयोजित होगी। टेबल–टेनिस, लॉन टेनिस एवं बैडमिण्टन में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के तीन–तीन खिलाड़ी एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के पांचों खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगें। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाडियों को सीडिंग दी जावे। ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों का निर्धारण होने के बाद डाली जावे। क्वार्टर फाईनल एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावें। उसके बाद सीडिंग देकर ड्रॉज डालते समय इस बात का ध्यान रखा जावें कि सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाईनल से पहले मैच न हो सकें।
11. निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08–11/124 दिनांक 15.06.2011 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग विद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 के पृष्ठ 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता हैं। सत्र 2014–15 से जिला स्तरीय खेल दल का गठन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा। शेष नियम यथावत रहेगें।
एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, साइक्लिंग, रोलर स्केटिंग, राईफल शूटिंग, तीरंदाजी, बॉक्सिंग व्यक्तिगत स्पर्धा के खेल हैं। एथलेटिक्स व तैराकी में छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय व रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती, जूडो, बॉक्सिंग, के प्रत्येक भार में प्रथम आने वाला व जिम्नास्टिक व तीरंदाजी में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी, रोलर स्केटिंग के प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ छः, साइक्लिंग के प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम व द्वितीय, राईफल शूटिंग के प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय, तीरंदाजी के प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी व शतरंज में श्रेष्ठ पांच खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, शिविर संचालक, टीम प्रभारी एवं चयन समिति का होगा। मानदण्ड पूरा न करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 19:46:25 IST
Reason: Approved

12. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाड़ियों का विभागीय परिपत्र क्रमांक : शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/2008–10/85 दिनांक 10.5.2010 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाने के पश्चात् मेडिकल प्रमाण–पत्र सहित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम भेजने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा का होगा।
13. जिला स्तरीय चयन पश्चात् राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर जिले की विजेता टीम के विद्यालय में लगाया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा अपने स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का स्थल परिवर्तित कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर का वहन यथा यात्रा/दैनिक भत्ता आदि का वहन चयनित खिलाड़ियों के विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्र कोष से वहन किया जावेगा।
14. खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्रों की संबंधित शारीरिक शिक्षक/अध्यापक व संस्था प्रधान भली–भांति जांच कर प्रवेश रजिस्टर से मिलान करें, यथा छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक मिलान करने के पश्चात् ही संस्था प्रधान योग्यता प्रमाण–पत्र प्रमाणित करें। **विभिन्न स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाडियों द्वारा भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण–पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि व नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।**
15. योग्यता प्रमाण–पत्र में विद्यालय का पूर्ण पता/विद्यालय की ई–मेल आई.डी. अंकित होना अनिवार्य है ताकि पत्र प्रेषण में कठिनाई न हो।
16. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक संस्था प्रधान समस्त प्रकार के प्रतियोगिता अभिलेखों की एक प्रति अपने विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना संस्था विद्यालय अभिलेख से मिलान करके दे सकें।
17. जिलों की टीम के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो संबंधित शारीरिक शिक्षक खेल भावना का परिचय देते हुए निर्णायक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन पश्चात् अपने जिले की समस्त खेलों की प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें :–

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी खिलाडी संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

19. जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संभागित्व एवं मैरिट प्रमाण–पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा इसकी सुनिश्चितता अवश्य करें। उक्त प्रमाण–पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्र की फोटो से मिलान करने के पश्चात् प्रतिपर्ण पर खिलाड़ी के हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। मैरिट प्रमाण–पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जावें। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैरिट प्रमाण–पत्र दिये जावें। कुश्ती, जूडो, बाक्सिंग, में तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त प्रतियोगी को रैपचेज पद्धति से तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण–पत्र देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

20. सभी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रा टीम के साथ महिला शारीरिक शिक्षक/ अध्यापिका को ही भेजा जावे।

21. एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, तैराकी, साईक्लिंग, तीरंदाजी, रोलर स्केटिंग, राईफल शूटिंग, शतरंज, बाक्सिंग, में राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों में आयोजित स्पर्धाओं के अनुरूप ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनकी स्पर्धाएं करवायी जावें। यदि उक्त खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताऐं आयोजित न हो तो उस खेल में भारतीय खेल संघ के अनुरूप जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। इस हेतु निर्धारित स्पर्धाएं एवं मानदण्ड इस खेल पंचांग में आगे दर्शाये गये हैं। तदनुसार प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जावे।

22. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में से यदि SGFI द्वारा किसी भी खेल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अयोजन नहीं होता है तो उन प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य स्तर तक ही होगा।

23. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् निदेशालय को भेजा जाने वाला समस्त रिकार्ड स्कैन करवाकर पैन ड्राइव में अनिवार्य रूप से 15 दिवस में वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

24. प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला/राज्य स्तरीय परिवाद समिति द्वारा यथा समय पर निर्णय दिया जावें। निदेशालय को परिवाद प्रकरण नहीं भेजें। इसे गम्भीरता से लें।

25. प्रारंम्भिक शिक्षा विभाग विद्यालयी क्रीडा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका(साहित्यक–सांस्कृतिक प्रवृतियों के आयोजन सहित) 2009–10 एवं 2022–23 के परिशिष्ठ–I पात्रता (योग्यता) प्रमाण पत्र मे उल्लेखित चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र में अंकित खिलाडी की आयु 14 वर्ष सीमा के अन्तर्गत है उक्त क्रम मे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु)प्रा0शि0 एवं प्रतियोगिता आयोजन समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रतियोगिता से पूर्व सभी भाग लेने वाले खिलाडियों का चिकित्सक प्रमाण–पत्र आयु परीक्षण उपरांत ही खिलाडियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की कार्यवाही करें।

26. यदि **माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के छात्र–छात्रा** खिलाड़ी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उक्त प्रतियोगिताओ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 10रू. प्रति खिलाड़ी की दर से जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के सम्मिलीत हैं, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गई प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) को राशि जमा करवाएंगे। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारंभिक शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक आयु वर्ग के छात्र–छात्रा खिलाड़ी कक्षा 6 से 8 तक की क्रीडा शुल्क जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

27. यदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे अध्ययरत कक्षा 06 से 08 तक के छात्र–छात्रा खिलाडी माध्यमिक शिक्षा के द्वारा आयोजित होने वाली आयु वर्ग 17/19 जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं मे भाग लेते है,तो उक्त प्रतियोगिताओं मे भाग लेने वाले खिलाडियों की संख्या के आधार पर 10/रू(दस रूपये) प्रति खिलाडी की दर से जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा) द्वारा अपने जिले के समस्त विद्यालयों से लि गई प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि मे से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को राशि जमा करवायेगे ।

28. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा सभी खेलों हेतु निर्णायक, चयन समिति नियुक्त की जावे।

1. राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आवश्यकतानुसार निर्णायक कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा पूर्व की भांति लगाये जायेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

2. पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चयन सूची बनाई जावेगी, वह चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर चयनित खिलाड़ी घोषित न करके पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए बन्द लिफाफे में निदेशालय को वाहक के साथ भेजेंगे। डाक द्वारा प्रतियोगिता संबंधी रिकार्ड नही भिजवाये, इसकी कठोरता से पालना की जावें।
3. राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बनाई जाने वाली सूची में चयन समिति की नजर में यदि कोई खिलाड़ी 14 वर्ष से अधिक का प्रतीत होता हो तो उसका चयन नहीं करें। प्रतिवाद की स्थिति में संयोजक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस खिलाड़ी की मेडिकल जांच करवाये।
4. क्रिकेट 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र) की प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति द्वारा खेली जावेगी, क्रिकेट में प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा एवं सेमीफाईनल व फाईनल 25—25 ओवर के होगें (प्रतियोगिता संचालन आई.सी.सी. के नियमानुसार होगा)।
5. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान अत्याधिक मात्रा में सामान्य अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां कर दी जाती है जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः आवश्यकतानुसार ही प्रतिनियुक्तियां की जावे। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों की सेवाऐं ली जावे।
6. प्रत्येक विद्यालय को जिला स्तर पर कम से कम एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है। यदि जिले का कोई विद्यालय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/ प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
7. जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग, में खिलाड़ी का चयन जिस वजन वर्ग में हुआ है, वह उसी वजन वर्ग में आगामी प्रतियोगिता में भाग लेगा।
8. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 4 या इससे कम होने पर प्रतियोगिता लीग प्रणाली से एवं टीमों की संख्या 5 या इससे अधिक होने पर प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से आयोजित होगी, किंतु बैडमिन्टन, टेबल—टेनिस, क्रिकेट सॉफ्टबॉल, लॉन टेनिस खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से ही आयोजित होगी। कुश्ती, जूडो, एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, साइक्लिंग, राईफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, तीरंदाजी, शतरंज, बॉक्सिंग प्रतियोगिताएँ विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत ही आयोजित होगी।
9. उपर्युक्त के अलावा अन्य सभी खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऐं लीग—कम—लीग, लीग—कम नॉक आउट अर्थात लीग, सुपर लीग व नॉक आउट प्रणाली द्वारा नियमावली 2009—10, 2022—23 के अनुसार आयोजित होगी।

11. तैराकी के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड
(एसजीएफआई द्वारा समय—समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र.सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	फ्री स्टाईल 50 मीटर	00.45 मिनट	00.50 मिनट
2.	बटर फ्लाई 50 मीटर	00.50 मिनट	00.55 मिनट
3.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 50 मीटर	00.50 मिनट	00.55 मिनट
4.	बैक स्ट्रोक 50 मीटर	00.45 मिनट	00.50 मिनट
5.	फ्री स्टाईल 100 मीटर	01.45 मिनट	02.35 मिनट
6.	फ्री स्टाईल 200 मीटर	03.30 मिनट	05.30 मिनट
7.	व्यक्तिगत मैडले 200 मीटर	03.50 मिनट	06.45 मिनट
8.	बैक स्ट्रॉक 100 मीटर	02.00 मिनट	02.10 मिनट
9.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 100 मीटर	02.00 मिनट	02.30 मिनट

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 10:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

क्र.सं.	नाम इवेन्ट्स		मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
10.	बैक स्ट्रॉक	200 मीटर	04.00 मिनट	06.30 मिनट
11.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक	200 मीटर	04.50 मिनट	06.40 मिनट
12.	बटर फ्लाई	100 मीटर	01.50 मिनट	02.10 मिनट
13.	फ्री स्टाईल	4X100 मीटर	09.45 मिनट	12.00 मिनट
14.	मेडले रिले	4X100 मीटर	10.00 मिनट	12.00 मिनट
15.	बटर फलाई	200 मीटर	04.30 मिनट	06.25 मिनट

12. एथलेटिक्स के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड
(एसजीएफआई द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	100 मीटर दौड़	13.50 सैकण्ड	15.00 सैकण्ड
2.	200 मीटर दौड़	29.00 सैकण्ड	34.00 सैकण्ड
3.	400 मीटर दौड़	01.00 मिनट	01.15 मिनट
4.	600 मीटर दौड़	01.40 मिनट	01.55 मिनट
5.	80 मीटर बाधा दौड़	15.00 सैकेण्ड	17.00 सैकण्ड
6.	ऊँची कूद	01.40 मीटर	01.15 मीटर
7.	लम्बी कूद	5.00 मीटर	04.00 मीटर
8.	गोला फैंक (छात्र–4 किलो, छात्रा–3 किलो)	10.00 मीटर	07.00 मीटर
9.	तश्तरी फैंक (1 किलो)	28.00 मीटर	17.00 मीटर
10.	रिले दौड़ (4X100 मीटर)	54.00 सैकेण्ड	01.05 मिनट

13. साइक्लिंग, तीरंदाजी, राईफल शूटिंग इवेन्ट (छात्र–छात्रा) :–

साईक्लिंग				तीरंदाजी			राईफल शूटिंग		
S. N	इवेन्ट्स	छात्र	छात्रा	इवेन्ट्स	छात्र	छात्रा	इवेन्ट्स	छात्र	छात्रा
1	TIME TRIAL (TRACK)	500 M.	500 M.	RECURVE	50M. (DOUBLE)	50 M. (DOUBLE)	PISTOL	10 M.	10 M.
2	INDIVIDUAL PURSUIT (TRACK)	2 KM	2 KM	COMPOU ND	50M. (DOUBLE)	50 M. (DOUBLE)	AIR RIFFLE	10 M.	10 M.
3	TIME TRIAL (ROAD)	5-7 KM	4-6 KM	INDIAN	20 & 30 M.	20 & 30 M.	OPEN RIFFLE	10 M.	10 M.
4	MASS START (ROAD)	10-15 KM	5-10 KM	-	-	-	-	-	-

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

14. रोलर स्केटिंग (छात्र–छात्रा) स्पीड चार्ट :–

आयु वर्ग	क्वाड			इनलाईन			
अण्डर–14	500+डी	1000 मी	2000 मी	500+डी	1000 मी	1 लेप	2000 मी

नोट – क्वाड व इनलाईन में 3–3 खिलाड़ी

15. कुश्ती एवं जूडो 14 वर्ष आयुवर्ग (छात्र–छात्रा) हेतु निर्धारित वजनः–

क्र. सं.	कुश्ती		जूडो	
	छात्र	**छात्रा**	**छात्र**	**छात्रा**
1	35 किलो	30 किलो	25 किलो	23 किलो
2	38 किलो	33 किलो	30 किलो	27 किलो
3	41 किलो	36 किलो	35 किलो	32 किलो
4	44 किलो	39 किलो	40 किलो	36 किलो
5	48 किलो	42 किलो	45 किलो	40 किलो
6	52 किलो	46 किलो	50 किलो	44 किलो
7	57 किलो	50 किलो	+50 किलो	+44 किलो
8	62 किलो	54 किलो	–	–
9	68 किलो	58 किलो	–	–
10	75 किलो	62 किलो	–	–
	कुल वजन–10		कुल वजन–7	कुल वजन–7
	विजेता पहलवान वजन वार		वजन वार एक विजेता	वजन वार एक विजेता

16. बॉक्सिंग 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र) हेतु निर्धारित वजनः–

बॉक्सिंग	
क्र.सं.	**छात्र**
1	28–30 किग्रा
2	30–32 किग्रा
3	32–34 किग्रा
4	34–36 किग्रा
5	36–38 किग्रा
6	38–40 किग्रा
7	40–42 किग्रा
8	42–44 किग्रा
9	44–46 किग्रा
10	46–48 किग्रा
11	48–50 किग्रा
कुल 11 वजन विजेता वजनवार एक	

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 19:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23688770
M e-Sign

नोटः– कुश्ती, जूडो, बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में रैपचेज पद्वति होने से सेमीफाइनल में हारने (बाउट हारने वाले) प्रतियोगी को तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र देय होगा।

17. **कबड्डी 14 वर्ष आयु वर्ग (छात्र–छात्रा) हेतु निर्धारित वजन**

कबड्डी		
क्र.सं.	**छात्र**	**छात्रा**
1	51 किग्रा अधिकतम	48 किग्रा अधिकतम

18. राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु खेल पॉजीशन/वजनवार/इवेन्टवार वरियतानुसार खिलाड़ियों का चयन निम्नानुसार किया जावे :–

क्र. सं.	खेल विधा	राज्य स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर		राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर		राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की संख्या	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	हैण्डबॉल	16+9	16+9	25	25	16	16
2	वॉलीबॉल	12+8	12+8	20	20	12	12
3	बास्केटबॉल	12+8	12+8	20	20	12	12
4	कबड्डी	12+8	12+8	20	20	12	12
5	खो–खो	12+8	12+8	20	20	12	12
6	फुटबॉल	18+8	18+8	26	26	18	18
7	हॉकी	18+7	18+7	25	25	18	18
8	क्रिकेट	16+9	16+9	25	25	16	16
9	टेबल टेनिस	5+5	5+5	10	10	5	5
10	बेडमिन्टन	5+5	5+5	10	10	5	5
11	जिम्नास्टिक	7+5	7+5 (ARTISTIC) 4+4 (RHYTHMIC)	12	12 (ARTISTIC) 4+4 (RHYTHMIC)	7	7 (ARTISTIC) 4 (RHYTHMIC)
12	लॉन टेनिस	5+5	5+5	10	10	5	5
13	सॉफ्टबॉल	16+9	16+9	25	25	16	16
14	नेट बॉल	12+8	12+8	20	20	12	12
15	एथेलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम व द्वितीय + तृतीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम व द्वितीय + तृतीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय	SGFI के द्वारा जारी नवीनतम मापदण्ड के अनुसार	SGFI के द्वारा जारी नवीनतम मापदण्ड के अनुसार
16	तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम + द्वितीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम + द्वितीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम व द्वितीय	प्रत्येक इवेन्ट में प्रथम व द्वितीय	SGFI के द्वारा जारी नवीनतम मापदण्ड के अनुसार	SGFI के द्वारा जारी नवीनतम मापदण्ड के अनुसार
17	रोलर स्केटिंग	श्रेष्ठ 6+ 7	श्रेष्ठ 6+ 7 व 8	श्रेष्ठ 8	श्रेष्ठ 8	6	6

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770

M e-Sign

क्र. सं.	खेल विधा	राज्य स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर		राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर		राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की संख्या	
		व 8					
18	साइक्लिंग	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–2+ श्रेष्ठ तृतीय	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–2+ श्रेष्ठ तृतीय	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3	8	8
19	राईफल शूटिंग	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3+ श्रेष्ठ चतुर्थ	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3+ श्रेष्ठ चतुर्थ	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–4	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–4	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–3
20	तीरंदाजी	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–4+ श्रेष्ठ 5 से 8	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–4+ श्रेष्ठ 5 से 8	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–8	प्रत्येक इवेन्ट में श्रेष्ठ–8	प्रत्येक इवेन्ट में 4	प्रत्येक इवेन्ट में 4
21	शतरंज	श्रेष्ठ–5+ श्रेष्ठ 6–7	श्रेष्ठ–5+ श्रेष्ठ 6–7	श्रेष्ठ–7	श्रेष्ठ–7	5	5
22	कुश्ती	प्रत्येक वजन में प्रथम + द्वितीय	प्रत्येक वजन में प्रथम + द्वितीय	प्रत्येक वजन में 2 पहलवान प्रथम एवं द्वितीय	प्रत्येक वजन में 2 पहलवान प्रथम एवं द्वितीय	प्रत्येक वजन में 1 पहलवान 10 खिलाड़ी	प्रत्येक वजन में 1 पहलवान 10 खिलाड़ी
23	बॉक्सिंग	प्रत्येक वजन में प्रथम + द्वितीय (छात्र/छात्रा दोनों वर्गों में)		प्रत्येक वजन में प्रथम एवं द्वितीय	–	11 खिलाड़ी	–
24	जुडो	प्रत्येक वजन में प्रथम + द्वितीय (छात्र/छात्रा दोनों वर्गों में)		प्रत्येक वजन में प्रथम एवं द्वितीय (छात्र/छात्रा दोनों वर्गों में)		7	7

नोट :– तीरंदाजी में कुल अंकों का 40 प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्त होने पर ही छात्र–छात्रा खिलाड़ी राज्य स्तर पर भाग लेगा, इसका दायित्व संबंधित प्रशिक्षक/संयोजक निर्णायक मण्डल का होगा।

विशेष:–

1. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर से पूर्व प्रशिक्षण हेतु + में अंकित संख्या अनुसार खिलाड़ियों की आरक्षित सूची अंतिम चयनित खिलाडियों की सूची से अलग से बनाई जाये, उस पर आरक्षित सूची का अंकन किया जावें तथा चयनित खिलाड़ियों के पूर्व प्रशिक्षण शिविर में न आने पर आरक्षित सूची में से खेल

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

पॉजीशन के अनुसार वरियता के आधार पर खिलाड़ियों को बुलाकर राज्य/ राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता हेतु जिला/राज्यदल का गठन किया जाये।

2. राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित खिलाड़ियों का चयन ट्रायल उपरांत राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु राज्य दल का गठन किया जाये।
3. खेलों में चयन समिति द्वारा आरक्षित व पूर्व प्रशिक्षण शिविर के लिये खिलाड़ियों की पोजीशन खेलवार निम्नानुसार रहेगीः–

S.NO.	Name of Game	Playing Position in Game	No. of Reserve Players for State Pre Training Camp	No. of Players for National Pre Training camp	No. of Players for State/ National Tournament
1.	Cricket	Opening Batsmen	01	03	02
		Completely Batsmen	02	05	03
		All Rounder	02	05	03
		Medium Fast bowler	01	05	04
		Spinner	02	04	02
		Wicketkeeper	01	03	02
		Total	**09**	**25**	**16**
2.	Football	Goal keeper	02	04	02
		Defender	03	08	05
		Mid Fielder	02	06	04
		Forward	01	08	07
		Total	**08**	**26**	**18**
3.	Net Ball	Goal Shooter	01	03	02
		Goal Attack	01	03	02
		Wing Attack	02	03	01
		Centre	01	03	02
		Wing Defence	01	02	01
		Goal Defence	01	03	02
		Goal Keeper	01	03	02
		Total	**08**	**20**	**12**

19. कुश्ती (छात्रा), साइक्लिंग, बॉक्सिंग, राईफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, एवं तीरंदाजी में चैम्पियनशिप निकालने हेतु प्रत्येक इवेन्ट्स/वजन में प्रथम को 5 अंक द्वितीय को 3 अंक व तृतीय को 1 अंक दिया जावे। प्रत्येक रिले में प्रथम को 10 अंक, द्वितीय को 6 अंक एवं तृतीय को 3 अंक दिये जावे।
20. कुश्ती (छात्रा), साइक्लिंग, बॉक्सिंग, राईफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, एवं तीरंदाजी में टीम चैम्पियनशिप के आधार पर प्रत्येक को एक खेल मानते हुए जनरल चैम्पियनशिप में अंक जोड़े जावे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः 5,3,1 के अनुसार अंक दिये जावे इन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में परिणाम को उसकी टीम चैम्पियनशिप/जनरल चैम्पियनशिप में नहीं जोड़ा जावे।
21. कुश्ती (छात्रा), साइक्लिंग, बॉक्सिंग, राईफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, तीरंदाजी चैम्पियनशिप निकालते समय दो विद्यालयों के समान अंक प्राप्त करने पर प्रथम स्तर पर प्राप्त स्वर्ण पदक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता विजेता होगा। स्वर्ण पदक भी बराबर होने पर क्रमशः रजत पदक में अधिक

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 18:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

रजत पदक प्राप्त करने वाला विजेता होगा इसमें भी समान रहने पर दोनों विद्यालयों को संयुक्त विजेता घोषित किया जावे।

22. क्रीड़ा शुल्क कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा / प्रारं / खेकू / स्वाशि / 7519 / शुल्क / 2022–23 / 11 दिनांकः 04.08.2022 के अनुसार समान्य वर्ग 20 रू प्रति छात्र / छात्रा वार्षिक और आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जन जाति एवं अ. पि.वर्ग) से 10रू प्रति छात्र / छात्रा वार्षिक वसूल किया जावे।

23. इस कार्यालय द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं साहित्यक / सांस्कृतिक प्रवृतियां नियमावली एवं मार्गदशिका 2009–10 / 2022–23 में उल्लेखित नियम–09 (9.1.1 से 9.1.1.4.2) खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता योग्यता प्रमाण–पत्र सत्र 2026–27 में होने वाली क्षेत्रिय / जिला / राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान मे रखते हुए संभागी खिलाड़ियों के पात्रता नियमो में आवश्यक संशोधन करते हुए कक्षा 03 से 05 तक के छात्र–छात्रा जिला / राज्य स्तर तक पूर्व की भॉति भाग ले सकेगे, लेकिन कक्षा 06 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगें, कक्षा 06 से ऊपर की कक्षा के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। 14 वर्ष छात्र–छात्रा प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर) में खिलाड़ी की आयु प्रमाण–पत्र हेतु आधार कार्ड / पासपोर्ट (दोंनों में से एक), जन्म प्रमाण–पत्र (पं.स. / नगर पालिका / नगर निगम द्वारा जारी) एवं गत वर्ष की उतीर्ण कक्षा की अंकतालिका / प्रमाण–पत्र। उपरोक्त मे से कोई दो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा । किसी भी कक्षा मे दो वर्ष से अनुतीर्ण / ठहराव वाले छात्र–छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगें।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा इन आदेशों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शीघ्र प्रतिशीघ्र प्रसारित करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का स्थान निर्धारित अपने जिले का खेल पंचांग शीघ्र जारी कर अधीनस्थ विद्यालयों में प्रसारित कर इस कार्यालय को प्रति भिजवावें।

आशान्वित हूँ कि जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.),
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / खेकू / स्वाशि / 7509 / पंचाग / 2026–27 **दिनांकः यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मंत्री, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की प्रतियोगिता पृथक से पूर्व व्यवस्थानुसार करवाई जावे।
8. उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 19:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को 11 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपर्युक्त प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
10. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयों / विद्यालयों को अविलम्ब कराने का श्रम करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा।
12. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
13. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
14. सहायक निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जोधपुर / अलवर।
15. समस्त केन्द्राधीक्षक एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।
16. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को शिविरा के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
17. समस्त संयोजक सचिव / संस्था प्रधान, आयोजक राज्य स्तरीय विद्यालयी प्रतियोगिता।
18. समस्त संस्था प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालय।
19. संस्था प्रधान खेल छात्रावास वोकेशनल मावि, कोटा / नूतन सीमावि, बांसवाड़ा।
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.),
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 1?:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23688770
M e-Sign

(परिशिष्ट 1)

प्रथम समूह

क्र.सं.	खेल का नाम	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	बास्केटबॉल	राउप्रावि, ल्यालीखेड़ा अजमेर
2.	क्रिकेट (छात्र)	लियो इन्टरनेशनल स्कूल, डांगपाड़ा, बांसवाड़ा
3.	हैण्डबॉल	एक्सीलैंस पब्लिक स्कूल, आहोर, जालौर
4.	जूडो	तनिष्क एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी सी.सै. स्कूल, न्यू आकाशवाणी कोटा।
5.	लॉन टेनिस	जेवियर्स स्कूल, पाली
6.	कुश्ती	पीएमश्री राउमावि, अंता, कोटा–बारा मेन रोड, बारां
7.	बैडमिन्टन	महात्मा गांधी रावि राधास्वामी बाग, चौमू, गोविन्दगढ़ जयपुर।
8.	बॉक्सिंग (छात्र)	राउप्रावि चोंकी, शेख सराय, अलवर
9.	फुटबॉल	श्री आईनाथ इंग्लिश एकेडेमी, सेखाला, जोधपुर
10.	सॉफ्टबॉल	राउप्रावि काजा का गोलिया, सांचोर, जालौर
11.	वॉलीबॉल	राउप्रावि, भिलगवां, धौलपुर
12.	नेटबॉल	इंडिगो पब्लिक सी.सै. स्कूल, जोधपुर

द्वितीय समूह

क्र.सं.	खेल का नाम	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	कबड्डी	सेठ हठीलाराम राउप्रावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर
2.	साइक्लिंग (रोड़, ट्रेक)	उमराव सिंह आर्या उमावि, पचेरी, झुंझुनु
3.	जिम्नास्टिक	भारतीय सी.सै. स्कूल लक्ष्मणगढ, चुरू
4.	तीरंदाजी	ए.एस.एम. पब्लिक स्कूल सीसी हेड, पदमपुर, श्रीगंगानगर
5.	हॉकी	द वाईब्रेंट एकेडमी, मोलकिया, केकड़ी अजमेर
6.	खो–खो	श्रीराम आदर्श विद्या मंदिर उप्रावि, पक्का भादवा, हनुमानगढ़
7.	शतरंज	पीएमश्री राउप्रावि, कुन्डा भगवानदास, डीग
8.	राईफल शूटिंग	रॉकवुड उ.मा. स्कूल, लालपुरा लोधा, बॉसवाडा
9.	टेबल टेनिस	राउप्रावि आलावाड़ा, हिण्डौन सिटी, करौली
10.	रोलर स्केटिंग	ब्रिटी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, भीलवाड़ा
11.	तैराकी	सनमून पब्लिक स्कूल, आरके कॉलोनी भीलवाड़ा

तृतीय समूह

क्र.सं.	खेल का नाम	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	एथलेटिक्स	राउप्रावि संख्या 5, खत्रीपुरा, नागौर

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 18:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign

परिशिष्ट–2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्र सत्र् 2025–2026

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ट्म	सप्तम्	अष्ट्म
1.	कबड्डी	ब्यावर	श्रीगंगानगर	बीकानेर	सार्दुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर	अजमेर	चुरू	भीलवाड़ा	जयपुर
2.	हॉकी	हनुमानगढ़	नागौर	फलौदी	बालोतरा	चुरू	अजमेर	सार्दुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर	टौंक
3.	हैण्डबॉल	श्रीगंगागनर	हनुमानगढ़	सार्दुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर	चित्तौड़गढ़	सीकर	बीकानेर	जोधपुर	फलौदी
4.	फुटबॉल	सीकर	झुंझुनु	हनुमानगढ़	अजमेर	भीलवाड़ा	जयपुर	खैरथल तिजारा	कोटपुतली बहरोड
5.	टेबलटेनिस दलीय	बीकानेर	जयपुर	चुरू	कोटा	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	ब्यावर	भीलवाड़ा
6.	खो–खो	चुरू	अजमेर	बीकानेर	डीडवाना कुचामन	जयपुर	नागौर	उदयपुर	ब्यावर
7.	बैडमिण्टन दलीय	जयपुर	जोधपुर	झुंझुनु	कोटा	श्रीगंगानगर	बीकानेर	सीकर	उदयपुर
8.	क्रिकेट	चुरू	कोटा	जयपुर	उदयपुर	जोधपुर	भीलवाड़ा	खैरथल तिजारा	झुंझुनु
9	बास्केटबॉल	जैसलमेर	कोटा	सीकर	जयपुर	बाड़मेर	भीलवाड़ा	पाली	झुंझुनु
10.	सॉफ्टबॉल	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	नागौर	जयपुर	पाली	सीकर	बीकानेर	राजसमंद
11.	लॉन टेनिस दलीय	अजमेर	जोधपुर	जयपुर	राजसमंद	झुंझुनु	उदयपुर	बांसवाड़ा	बीकानेर
12	वालीबाल	भीलवाड़ा	बीकानेर	झुंझुनु	RSSC अकादमी झुंझुनु	जोधपुर	नागौर	हनुमानगढ़	डीडवाना कुचामन
13	नेटबॉल	श्रीगंगानगर	चुरू	फलौदी	सीकर	भीलवाड़ा	बीकानेर	हनुमानगढ़	डीडवाना कुचामन

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770

M e-Sign

परिशिष्ट–3

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्रा सत्र् 2025–2026

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ट्म	सप्तम्	अष्ट्म
1.	कबड्डी	ब्यावर	जयपुर	बीकानेर	हनुमानगढ़	श्रीगंगानर	चुरू	अजमेर	डीडवाना कुचामन
2.	हॉकी	नागौर	जयपुर	उदयपुर	सीकर	फलौदी	अजमेर	टौंक	बालोतरा
3.	हैण्डबॉल	भीलवाड़ा	हनुमानगढ़	चित्तौड़गढ़	चुरू	सीकर	गंगानगर	बाड़मेर	टौंक
4.	टेबल टेनिस दलीय	जयपुर	जयपुर	जयपुर	भरतपुर	कोटा	टौंक	बीकानेर	उदयपुर
5.	बॉलीबॉल	सीकर	भीलवाड़ा	झुंझुनु	हनुमानगढ़	चुरू	जोधपुर	नागौर	चित्तौड़गढ़
6.	खो–खो	सीकर	बीकानेर	नागौर	श्रीगंगानगर	अजमेर	डीडवाना कुचामन	बांसवाड़ा	ब्यावर
7.	बैडमिंटन दलीय	जयपुर	भीलवाड़ा	टौंक	बाड़मेर	जोधपुर	झुंझुनु	सीकर	अजमेर
8.	बास्केटबॉल	भीलवाड़ा	जयपुर	राजसमंद	सीकर	झुंझुनु	उदयपुर	नागौर	गंगानगर
9.	सॉफ्टबॉल	हनुमानगढ़	नागौर	भीलवाड़ा	जोधपुर	उदयपुर	सीकर	जयपुर	अलवर
10.	लॉन टेनिस दलीय	जोधपुर	अजमेर	जयपुर	बीकानेर	चुरू	टौंक	उदयपुर	झुंझुनु
11	नेटबॉल	हनुमानगढ़	भीलवाड़ा	श्रीगंगानगर	सीकर	झुंझुनु	बाड़मेर	फलौदी	जयपुर
12	फुटबॉल	डीडवाना कुचामन	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	बाड़मेर	झुंझुनु	अजमेर	बीकानेर	जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.07.29 16:46:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23688770
M e-Sign